कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 20/12/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 19.12.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01.थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गिरफ्तार।

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 19.12.2024 को उ0नि0 कृष्णकुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा फौ0वाद सं0 135/06 धारा 147/323/325/427/504 भादवि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 02 नफर वारन्टी 1.श्यामनारायन पुत्र उपासो उम्र 62 वर्ष 2.रामजी पुत्र माधो उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम तिलठिया थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.श्यामनारायन पुत्र उपासो उम्र 62 वर्ष नि0 ग्राम तिलठिया थाना बरेसर गाजीपुर।

2.रामजी पुत्र माधो उम्र 60 वर्ष नि0 ग्राम तिलठिया थाना बरेसर गाजीपुर।

आपराधिक इतिहासः-

1.वारन्टी फौ0वाद सं0 135/06 धारा 147,323,325,427,504 IPC थाना बरेसर जनपद गाजीपुर।

02. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 25 कि0ग्रा गोमांस व एक अदद टोटो बिना नम्बर प्लेट के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय टीम द्वारा ग्राम टेढ़वा रेलवे क्रासिंग से मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त डब्लू अहमद पुत्र कमरुज्जमा उर्फ टुन्नू निवासी मुहल्ला चन्दन शहीद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 25 कि0ग्रा गोमांस (कुल 25 अदद काले रंग की प्लास्टिक की थैली में अलग-अलग थैली में 01-01 कि0ग्राम गोमांस) व एक अदद टोटो बिना नम्बर प्लेट बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 698/2024 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर बताया कि मैं पैसे के लालच मैं कई दिनों से छिपकर जंगीपुर के निवासी समउल्ला पुत्र कमरुल्ला जिनका मकान इमामबाड़े के पास जहां पर दशवीं ताजियो का मिलन होता है,उन्हीं के यहां से 160 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद कर उसे 200 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाजीपुर शहर के भिन्न भिन्न मुहल्लों में घूमकर अपने इसी टोटो से गोमांस को बेचता हूं। इसी टोटो से मैं गोमांस बेचने का धन्धा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.डब्लू अहमद पुत्र कमरुज्जमा उर्फ टुन्नू निवासी मुहल्ला चन्दन शहीद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी –

1. 25 किग्रा गोमांस, एक अदद टोटो बिना नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0-698/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

03. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 688/2024 धारा 75/331(2)/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.12.2024 को पहाडपुर लगंडपुर थाना कोतवाली गाजीपुर में अभियुक्त द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की नबालिक लड़की के साथ छेडखानी करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 688/2024 धारा 75,331(2),351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना वाँछित अभियुक्त को आज दिनांक 19.12.2024 को हेतिमपुर तिराहे से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.करण कुमार पुत्र धर्मेंद्र कुमार निवासी पहाड़पुर लंगरपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 688/24 धारा 75,331(2),351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

04. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा यातायात पुलिस कर्मी के साथ अभद्रता तथा हाथापाई व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.12.2024 को रेलवे स्टेशन तिराहे पर मोटरसाईकिल से नशे की हालत में गिरे अभियुक्तगण को उठाकर किनारे करते समय यातायात के कर्मी से उलझना, गाली-गलौज करना व मना करने एवं समझाने पर हाथापाई करना तथा सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में हे0का0 यातायात के तहरीर पर थाना कोतवाली गाजीपुर पर मु0अ0सं0 697/2024 धारा 131,132,352 बी0एन0एस0 बनाम 1. प्रिन्स सिंह पुत्र रणविजय बहादुर सिंह निवासी मेंदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर 2. रजनीश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी युवराजपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना वाँछित अभि0गण उपरोक्त को दिनांक 18.12.2024 को रेलवे स्टेशन तिराहे से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता -

1. प्रिन्स सिंह पुत्र रणविजय बहादुर सिंह निवासी मेंदनीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष
2. रजनीश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी युवराजपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त प्रिन्स सिंह उपरोक्त

01 .मु0अ0सं0 697/24 धारा 131,132,352 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
02. मु0अ0सं0 64/18 धारा 323,504,506 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त रजनीश सिंह उपरोक्त

01. मु0अ0सं0 697/24 धारा 131,132,352 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

05. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें में 04 नफर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20000/-रूपये अर्थदण्ड़ की दी गयी सजा '

दिनांक 19.12.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 07/21 धारा 302/34/341/504 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण 1. शहबाज हुसैन पुत्र जमशेद 2. कलामउद्दीन पुत्र जमालउद्दीन 3. निजामउद्दीन उर्फ चुन्नू पुत्र जमालउद्दीन समस्त निवासी ग्राम फतेहपुर अटवा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर 4. बबलू उर्फ शमशाद पुत्र नसीर निवासी फतेहबाग थाना मोहम्मदबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को **धारा 302/34 भदावि में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20000/-रूपये अर्थदण्ड़, धारा 504 भदावि में प्रत्येक को 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 341 भदावि में 01 माह का कारावास एवं अभियुक्त शहबाज को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड़** से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर